राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4114/2010

विनोद कुमार चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अमित कुमार जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी मेल नर्स–द्वितीय के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी में था, जहां पर अपीलार्थी के पास मैडिसिन एवं स्थायी सामग्री का चार्ज था। अपीलार्थी उक्त पद पर अप्रेल, 2006 से मार्च, 2009 तक कार्यरत रहा। अपीलार्थी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी से स्थानान्तरण हो जाने के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। बाद में आदेश दिनांक 30.04.2010 के द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया कि भण्डार में सामग्री कम बताई गई, इस कारण से राजकीय हानि हुई है एवं अपीलार्थी से कुल 59628/– रूपये की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 30.04.2010 (अनुलग्नक–12) को इस अपील में चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने समस्त चार्ज दिनांक 25.08.2009 को श्री राज कुमार को संभला दिया था, इसके पश्चात 6 माह बाद अपीलार्थी से वसूली निकाली गई, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने बाद में एक पत्र वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी को प्रेषित कर यह निवेदन किया कि वसूली की सत्यता के सत्यापन के लिये कमेटी गठित कर उनकी उपस्थिति में सम्बन्धित वसूली के सत्यापन कराने की कृपा करें। अपीलार्थी की आपत्ति के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक को पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित वसूली की सत्यता के लिये दो सदस्यीय कमेटी आयोजित करने का निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक से की गई अनुशंषा पर भी कमेटी का गठन नहीं किया गया

और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस कारण से अपीलार्थी से वसूली किया जाना उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि दोनों भाण्डारपालों में उपस्थित होकर एक पत्र जिसमें भण्डार रजिस्टरों को आदान प्रदान किया था, हस्ताक्षर कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दस्तावेज यथा सम्पूर्ण सामान की सूची, कन/अधिक सामान की सूची इत्यादि पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराये। अपीलार्थी द्वारा अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी से रिकवरी किये जाने का आदेश उसका स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से प्रकट नहीं हुआ है कि रिकवरी किये जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। यह भी प्रकट होता है कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक को पत्र प्रेषित कर दो सदस्यीय कमेटी गठित करने के लिये निवेदन किया गया था, परन्तु यह प्रकट नहीं हुआ है कि इस सम्बन्ध में कोई कमेटी गठित की गयी हो।
5. उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी से रिकवरी किये जाने का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया हो, यह प्रकट नहीं हुआ है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो वसूली निकाली गयी है, उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए एवं इसके बाद ही अपीलार्थी के सम्बन्ध में वसूली की कार्यवाही की जाए। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)